न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 32/24 (प्रा0पत्र)
GCMS No. : 2024/97

अनवान्

1. श्रीमती सुशीला पुत्री स्व. श्री रामा जाति रेगर निवासी राजपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. मृतक श्री प्यारी बाई पुत्री स्व श्री रामा के बजाय–

2/1 श्री भोलीराम पुत्र श्री देवीलाल जाति रेगर निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.।

2/2 श्री संतोषकुमार पुत्र श्री भोलीराम जाति रेगर निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.।

2/3 श्री मनोजकुमार पुत्र श्री भोलीराम जाति रेगर निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.।

2/4 श्रीमती चँदाबाई पुत्री श्री भोलीराम जाति रेगर निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.।

..........प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती स्नेहलता पत्नि श्री सुनील जाति मेघवाल निवासी राजपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्री सुनीलकुमार पुत्र श्री उदयलाल जाति मेघवाल निवासी राजपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती हेमलता पुत्री स्व. श्री हुक्मीचन्द जाति रेगर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्रीमती गायत्री पुत्री स्व. श्री हुक्मीचन्द जाति रेगर निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
5. श्रीमती सारगबाई पत्नि स्व. श्री हुक्मीचन्द जाति रेगर निवासी राजपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
6. श्री प्यारचन्द पुत्र श्री जगन्नाथ दत्तक पुत्र श्री नारायण जाति रेगर निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
7. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूम्धारी श्री तहसीलदार जी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

..................विपक्षीगण

उपस्थित–

1. श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री प्रफुल्ल जैन, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

Signature Not Verified
दिनांकः–15.05.2025

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थी ने एक वाद राजस्थान काश्तक[illegible] उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] राजस्थान [illegible]तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त [illegible]पुरा पटवार हल्का पीथलपुरा तहसील कानोड [illegible] की परिशिष्ट (क) आराजी संख्या 1557, 1558, 1559 किता 03 रकबा 0.8100 है. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में उपरोक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 06 प्यारचन्द के नाम पर, 1/4 हिस्सा विपक्षी संख्या 01 स्नेहलता के नाम पर,

1/4 हिस्सा विपक्षी संख्या 02 सुनीलकुमार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। परिशिष्ट (ख) की आराजी संख्या 1560 किता 1 रकबा 0.3200 है भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में उपरोक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 06 प्यारचन्द के नाम पर एवं 1/2 हिस्सा रामा पुत्र जेराम के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है।

2. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 से 6 एक ही खानदान के है। प्रार्थना पत्र की कलम न. 02 के परिशिष्ट (क) एवं परिशिष्ट (ख) में वर्णित कृषि भूमि रामा नाराण पुत्र जेराम की स्वअर्जित जागदाद है तथा जब तक रामा एवं नाराण जीवित रहे, तब तक वह उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहे। रामा के जीवनकाल में रामा की एक पुत्री गट्टुबाई की मृत्यु हो गई जिसके कोई वारिस नहीं है। रामा के मरणोपरान्त उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मे से रामा का 1/2 हिस्सा विरासत से रामा के पुत्र हुक्मीचन्द एवं प्रार्थीगण को हिस्से बराबर से प्राप्त हुआ। नाराण व उनकी पत्नि नानीबाई के मरणोपरान्त उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में से नाराण व उनकी पत्नी नानीबाई के मरणोपरान्त उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में से नाराण का 1/2 हिस्सा विरासत से नाराण के गोद पुत्र विपक्षी संख्या 06 प्यारचन्द को प्राप्त हुआ। हुक्मीचन्द के मरणोपरान्त उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में से हुक्मीचन्द का 1/6 हिस्सा विरासत से हुक्मीचन्द की पुत्रियां विपक्षी संख्या 03 हेमलता विपक्षी संख्या 04 गायत्री को, पत्नी विपक्षी संख्या 05 सागरबाई को एवं पुत्र सुनील को हिस्से बराबर से प्राप्त हुआ। इसके बाद हुक्मीचन्द के पुत्र सुनील की कुँवारेपन में ही मृत्यु हो गई जिससे सुनील का हिस्सा विरासत से विपक्षी संख्या 03 हेमलता विपक्षी संख्या 4 गायत्री विपक्षी संख्या 5 सागरबाई को प्राप्त हुआ।

3. यह कि इस प्रकार इस प्रार्थना पत्र की कलम न. 02 के परिशिष्ट (क) एवं परिशिष्ट (ख) में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 01 सुशीला का 1/6 हिस्से अनुसार, प्रार्थी संख्या 02 प्यारीबाई का 1/6 हिस्से अनुसार, विपक्षी संख्या 03 हेमलता का 1/18 हिस्से अनुसार, विपक्षी संख्या 04 गायत्री का 1/18 हिस्से अनुसार, विपक्षी संख्या 5 सागरबाई का 1/18 हिस्से अनुसार एवं विपक्षी संख्या 06 प्यारचन्द का 1/2 हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य है तथा प्रार्थीगण उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने अपने 1/6-1/6 हिस्से की रामा के मरणोपरान्त कानूनन खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है। यह कि दिनांक 03.01.2024 को वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण काश्त का कार्य कर रही थी उस समय विपक्षी संख्या 01 स्नेहलता व विपक्षी संख्या 02 सुनीकुमार एक राय होकर वादग्रस्त कृषि भूमि पर आये एवं प्रार्थीगण के हक अधिकारों को भारी चुनौती एवं वादग्रस्त कृषि भूमि से कब्जा छोड कर चले जाने के लिए कहा जिस पर प्रार्थीगण ने इसका कारण पूछा तो विपक्षी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थीगण को कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का कहीं पर भी रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं है एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 ने हुक्मीचन्द के वारिसों से इस प्रार्थना पत्र की कलम न. 02 के परिशिष्ट (क) में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा विक्रय पत्र के जरिये विपक्षी संख्या 01 व 02 का नाम दर्ज करवा दिया है जिससे अब विपक्षी संख्या 01 व 02 उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का कोई भी कब्जा काश्त नहीं रहने देंगे एवं उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का कोई भी कब्जा काश्त नहीं रहने देंगे एवं प्रार्थीगण को जबरन शरीर के बल पर बैदखल कर के ही रहेंगे।

4. यह कि प्रार्थीगण को इस बात का पता चला कि प्रार्थीगण के पिता रामा के मरणोपरान्त जिस समय उनकी विरासत की कार्यवाही प्रार्थनाग्रस्त कृषि भूमि के लिए की गई उस समय राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के भाई हुक्मीचन्द ने प्रार्थीगण की पीठ पीछे केवल उसके अकेले का नाम ही अवेध एवं गलत रूप से दर्ज करवा दिया एवं प्रार्थीगण को नुकसान कारित करने की नियत से प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं करवाया जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested

रामा की विरासत से वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण के भाई हुक्मीचन्द एवं प्रार्थीगण का नाम हिस्से बराबर से खातेदारी हक से दर्ज होना चाहिए था। इसके बाद वादग्रस्त कृषि भूमि में हुक्मीचन्द के बजाय उसके वारिसों का नाम भी अवैध एवं शुन्य प्रभावी रूप से हिस्से से अधिक भूमि में दर्ज हो गया जिससे इसकी आड में हुक्मीचनद के वारिसों ने भी ऐसे गलत अंकन से उनके हिस्से से अधिक भूमि का एक फर्जी बनावटी एवं कूटरचित विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 01 स्नेहलता व विपक्षी संख्या 02 सुनीलकुमार के नाम कर दिया जिससे ऐसे तथाकथित विक्रय पत्र से इस प्रार्थना पत्र की कलम न. 02 के परिशिष्ट (क) में वर्णित कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा विपक्षी संख्या 01 के नाम पर एवं 1/4 हिससा विपक्षी संख्या 02 के नाम पर गलत रूप से दर्ज हो गया एवं इस प्रकार के अवैध एवं शुन्य प्रभावी अंकन के आधार पर ही विपक्षी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थीगण के हक अधिकारों को चुनौती दी जबकि तथाकथित विक्रय पत्र प्रार्थीगण के हक अधिकारों के मुकाबले प्रारंभ से ही पुरी तरह से अवैध अकृत एवं शुनय प्रभावी होकर प्रभावहीन है एवं राजस्व अभिलेख में हुआ अंकन भी प्रार्थीगण के हक अधिकारों के मुकाबले प्रभावहीन है। अतः विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 6 के अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 7 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगणों ने मिथ्या व निराधार वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की तनिक भी संभावना नहीं है। प्रार्थीगणों के द्वारा प्रस्तुत वंशावली में यह स्पष्ट नहीं है कि का कौन कब फौत हुआ। वादवर्णित आराजीयात रामा जी व नारायण जी की स्वअर्जित है अथवा पैत्रिक प्रार्थीगण दस्तावेज के आधार पर साबित करे। रामा जी की मृत्यु सन् 1984 में हुई और रामा जी के स्थान पर उनके खातेदारी की कृषि भूमि उनके पुत्र हुक्मीचन्द के नाम पर नामान्तरित हुई हुक्मीचन्द जी ने प्रार्थीगणों की जानकारी में लाखो रूपया खर्च कर भूमि का समतल बनवाई, प्रार्थीगणों ने कभी किसी प्रकार की आपत्ती नहीं की प्रार्थीगणों का कोई हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हुआ और प्रार्थीगणों का रामा जी के हिस्से की जमीन के किसी भी भाग पर कोई कब्जा नहीं रहा अकेला हुक्मीचन्द जी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था और हुक्मीचन्द जी की मृत्यु के बाद विपक्षी सं. 03 श्रीमती हेमलता 04 श्रीमती गायत्री एवं 05 श्रीमती सागरबाई रेकर्ड खातदेार काश्तकार हुए और काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें थे विपक्षी सं. 03, 04 व 05 को राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार होना एवं मौके पर विपक्षी सं. 3, 4, 5 का कब्जा देखकर विपक्षी संख्या 1 श्रीमती स्नेहलता एवं विपक्षी सं. 2 सुनील कुमार मेघवाल ने अलग-अलग रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विपक्षी सं. 03, 04 व 05 के हिस्से की कृषि भूमि को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जो प्रार्थीगणों की जानकारी में विक्रय पत्र के पंजियन की दिनांक से शांतिपुर्वक खुले रूप से बिना किसी विघ्न एवं बाधा के लगातार चला आ रहा है।

6. यह कि वादीगणों ने अपने कार्य व्यवहार एवं स्पष्ट आचरण से उनके पिता रामा जी की कृषि भूमि भूमि में उनके हक हिस्से को मौन सहमती के आधार पर उनके भाई हुक्मीचन्द जी के पक्ष में अभित्याग कर ... कभी भी मात्र हुक्मीचन्द जी के नाम पर नामान्तरण खुलने में कोई आपत्ति नहीं की और न अब वो करने की अधिकारिणी ही है। ... द्वारा प्रार्थना पत्र की कलम न. 7 व 8 को असत्य होने से अस्वीकार ... भलीभांति मालूम था कि उनके पिता रामा जी की मृत्यु ... पिता के खातेदारी की भूमि में पिता की सभी संतानों व पत्नी का नाम दर्ज होना चाहिए तो तत्काल ग्राम पंचायत के सचिव, हल्का पटवारी को लिखित में निवेदन कर सूचित करना चाहिए था कि वे रामा जी की पुत्रियाँ है, उनका नाम भी राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested

रेकर्ड मे नामान्तरित होना चाहिए और यदि नहीं किया तो नामान्तरकरण की नकल लेकर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील करनी चाहिए थी जो कि प्रार्थीगणो ने नही की। अब इतने वर्षो बाद प्रार्थीगणों को अपने पिता की की सम्पत्ती में हक, हिस्सा होना याद आया वो भी तब जब उनके भाई के उत्तराधिकारीयो ने उनके खातेदारी एवं कब्जे की भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय कर दी, प्रार्थीगण स्वयं की गफलत एवं लापरवाही का फायदा उठाने की अधिकारीणी नही है। विपक्षी सं. 01 व 02 सद्भावी क्रेता है, उन्होने राजस्व रेकर्ड मे विपक्षी सं. 03, 04 व 05 का नाम खातेदारी दर्ज होना देखकर मौके पर तीनों का भौतिक कब्जा देखकर वादवर्णित कृषि भूमि का भाग रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा भारी राशि खर्च करके खरीद कर कब्जा प्राप्त किया यदि प्रार्थीगणों का नाम तत्समय राजस्व रेकर्ड में दर्ज होता तो विपक्षी सं. 01 व 02 कभी भी विपक्षी सं. 03, 04 व 05 से भूमि खरीदने का सौदा नहीं करती।

7. यह कि प्रार्थीगणो ने अपने पिता की मृत्यु के बाद खुलने वाले नामान्तरकरण की कार्यवाही में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, स्वयं की गफलत एवं लापरवाही का परिणाम स्वयं प्रार्थीगणों को ही भुगताना पडेगा। विपक्षी सं. 03, 04 व 05 ने जितनी राशि में वादवर्णित कृषि भूमि का भाग विपक्षी सं. 01 व 02 को बेचा उस राशि में जितना भाग प्रार्थीगणों का बनता है, उतनी राशि विपक्षी सं. 03, 04 व 05 प्रार्थीगणों को मय ब्याज 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से न्याय हित में प्रार्थीगणों को देने की इच्छुक एंव तत्पर है लेकिन राजस्व रेकर्ड में दर्ज जो भाग विपक्षी सं. 03, 04 व 05 का था वो विक्रय हो गया उसको अब अनबिकाव नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण रामा जी रेगर के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा का नामान्तरकरण प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 03, 04 व 05 के नाम नामान्तरित होने पर, विपक्षी सं. 03, 04 व 05 प्रार्थीगणों के पक्ष में रजिस्टर्ड हक–त्याग विलेख निष्पादित कर पंजियन करवा प्रार्थीगणों के हित में परित्याग करने को तैयार है और इस आशय की अण्डरटेकिंग भी लेती है बशर्ते प्रार्थीगण इस वाद में इस शर्त पर राजीनामा की डिक्री प्राप्त कर लेवें कि विपक्षी सं. 03, 04 व 05 के द्वारा विपक्षी सं. 01 व 02 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वैध एवं प्रभावी है और उसमें प्रार्थीगणों का कोई हक व हिस्सा नहीं हैं। प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा का आदेश जारी करवाने की अधिकारीणी नहीं है। मौके पर प्रार्थीगणों का कब्जा नहीं होने से भी प्रार्थीगण निषेधाज्ञा की राहत प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1 RRD-14.2.2014 SHYAM VS JAGVANTI & ORS. निर्णय दिनांक 25.11.2013 RAJASTHAN TENANCY ACT, SECTION 224-SECOND APPEAL AGAINST THE JUDGMENT AND DECREE OF R.A.A.- RESPONDENTS/ PLAINTIFFS FILED A SUIT AGAINST DECLARATION OF KHATEDARI RIGHTS AND SALE DEED EXECUTED BY A SINGLE KHATEDAR OF THE WHOLE OF ANCESTRAL AGRICULTURE LAND AS NULL AND VOID BEING CONTRARY TO LAW –TRIAL COURT DISMISSED THE SUIT BUT THE R.A.A DECREED IT- SECOND APPEAL BEFORE BOARD- HELD] SALE OF ENTRE ANCESTRAL AGRICULTURE LAND NOT BY ALL SHARE HOLDERS BUT A SINGLE SHARE HOLDER KHATEDAR IN VIOLATION OF SEC. 6- DEVOLUTION OF INTEREST IN CO-PARCENARY PROPERTY UNDER HINDU SUCCESSIN (AMEND) ACT. 2005 THE SALE DEED EXECUTED IS NULL AND VOID OF NO EFFECT TO THE EXTENT OF ... SHARE HOLDERS-A SUIT FOR DECLARATION OF KHATEDA... IN REVENUE COURT IS COMPETENT AND MAINTAINABLE.

अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested

1. 2018(1) RRT 692 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJER PAN BAI VS CHANDRA PRAKASH & ANR DATE 14.07.2017

2. 2018(2) RRT 1275 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJER BHAGIRATH VS RAMCHANDRA & ORS DATE 19.06.2018

3. CIATION : 2024 (1) DNJ RAJ 423 RAJASTHAN HIGH COURT JAIPUR BENCH BHAGWAN SINGH VS DIVISIONAL FOREST OFFICER BHARATPUR & ANR

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है

I. **प्रथम दृष्टया मामला :–** प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा मूलवाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर बताया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी रामा(पिता), नारायण पुत्र जेराम की स्वअर्जित सम्पति है। रामा जी के एक पुत्र तथा तीन पुत्रियां एवं पत्नी नानी बाई वारिसान है। रामा जी के जीवनकाल में एक पुत्री गटुबाई की मृत्यु हो गई। रामा जी के मरणोपरान्त उपरोक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि में रामा जी के 1/2 हिस्से में रामा जी के पुत्र हुकमीचन्द एवं प्रार्थीगणों को हिस्से बराबर से प्राप्त होना चाहिये था लेकिन प्रार्थीगण के भाई हुकमीचन्द ने प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात परिशिष्ट (क) में रामा जी के हिस्से को गलत तरिके से अकेले अपने नाम दर्ज करवा दिया तथा बाद में उक्त भूमि हुकमीचन्द के बजाय विरासत से विपक्षी संख्या 3 से 5 के नाम दर्ज हो गई जिसे विपक्षी संख्या 3 से 5 द्वारा विक्रय पत्र से अपने हिस्से से अधिक भूमि को विपक्षी संख्या 1, 2 को विक्रय कर दिया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा प्रार्थीगण के हक अधिकारों को चुनौती देने से प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी द्वारा प्रार्थी के इस कथन का खण्डन नहीं किया गया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा नहीं हैं। बल्कि विपक्षीगणों द्वारा अपने जवाब में कथन कहा कि प्रार्थीगणो ने अपने पिता की मृत्यु के बाद खुलने वाले नामान्तरकरण की कार्यवाही में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, स्वयं की गफलत एवं लापरवाही का परिणाम स्वयं प्रार्थीगणों को ही भुगताना पडेगा। विपक्षी सं. 03, 04 व 05 ने जितनी राशि में वादवर्णित कृषि भूमि का भाग विपक्षी सं. 01 व 02 को बेचा उस राशि में जितना भाग प्रार्थीगणों का बनता है, उतनी राशि विपक्षी सं. 03, 04 व 05 प्रार्थीगणों को मय ब्याज 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से न्याय हित में प्रार्थीगणों को देने की इच्छुक एंव तत्पर है। विपक्षीगणों के उक्त कथन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हक, हिस्सा निहित है। अन्य विन्दुओं को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर ही तय किया जा सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

II. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

III. **सुविधा संतुलन :–**प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा मूलवाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर बताया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी रामा (पिता), नारायण पुत्र जेराम की स्वअर्जित सम्पति है। रामा जी के एक पुत्र तथा तीन पुत्रियां एवं पत्नी नानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested

रामा जी के जीवनकाल में एक पुत्री गट्टुबाई की मृत्यु
बाई वारिसान है। रामा जी के मरणोपरान्त उपरोक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि में रामा जी के 1/
गई। रामा जी के मरणोपरान्त उपरोक्त प्रार्थीगणों को हिस्से बराबर से प्रा
हिस्से में रामा जी के पुत्र हुकमीचन्द एवं प्रार्थीगणों को हिस्से बराबर से प्रा
होना चाहिये था लेकिन प्रार्थीगण के भाई हुकमीचन्द ने प्रार्थनाग्रस्त आराजीय
परिशिष्ट (क) में रामा जी के हिस्से को गलत तरिके से अकेले अपने नाम द
करवा दिया तथा बाद में उक्त भूमि हुकमीचन्द के बजाय विरासत से विपक्ष
संख्या 3 से 5 के नाम दर्ज हो गई जिसे विपक्षी संख्या 3 से 5 द्वारा विक्रय प
से अपने हिस्से से अधिक भूमि को विपक्षी संख्या 1, 2 को विक्रय कर दिय
गया। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा प्रार्थीगण के हक अधिकारों को चुनौती देने
प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जा
का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी द्वारा प्रार्थी के इस कथन का खण्डन नहीं
किया गया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा नहीं है। बल्कि
विपक्षीगणों द्वारा अपने जवाब में कथन कहा कि प्रार्थीगणो ने अपने पिता की
मृत्यु के बाद खुलने वाले नामान्तरकरण की कार्यवाही में सक्रिय भूमिका नहीं
निभाई, स्वयं की गफलत एवं लापरवाही का परिणाम स्वयं प्रार्थीगणों को ही
भुगताना पडेगा। विपक्षी सं. 03, 04 व 05 ने जितनी राशि में वादवर्णित कृषि
भूमि का भाग विपक्षी सं. 01 व 02 को बेचा उस राशि में जितना भाग प्रार्थीगणों
का बनता है, उतनी राशि विपक्षी सं. 03, 04 व 05 प्रार्थीगणों को मय ब्याज 09
प्रतिशत वार्षिक की दर से न्याय हित में प्रार्थीगणों को देने की इच्छुक एवं
तत्पर है। विपक्षीगण के उक्त कथन से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को बल मिलता
है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दु
प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये। अन्य बिन्दुओं को मुल वाद में साक्ष्य
सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। इस पत्रावली में हमें निर्णय के लिये
तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों
बिन्दुओ के आधार पर निर्णय करना हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा
संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जा चुके
है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा राजपुरा पटवार हल्का पीथलपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078—81 खाता संख्या नया 348 की आराजी न. 1557, 1558, 1559 किता 3 रकबा 0.8100 है. भूमि में विपक्षी संख्या 1, 2 मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन विपक्षी संख्या 1, 2 के हिस्से तक रहेंगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।
निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested